प्रपत्र –VII

समाहरणालय भागलपुर

(जिला भू–अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता/ अपर समाहर्त्ता सह समुचित सरकार

अधिघोषणा

अधिनियम 30/2013 की धारा 19(1) के अधीन

संख्या- LXIV-01(01)/18- /भू0अ0, भागलपुर दिनांक ....

चूँकि समाहर्त्ता, भागलपुर को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन ब्रिज एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु ग्राम– परबत्ता, राजस्व थाना–कोलगंग, थाना सं0–33, अंचल–गोपालपुर वर्तमान इस्माईलपुर, जिला–भागलपुर में कुल 0.595 एकड़ यानि 0.2408 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिये अधिघोषणा किया जाता हे कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के अधीन एक भू–खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.595 एकड़ यानि 0.2408 हेक्टेयर है और जो ग्राम – परबत्ता, राजस्व थाना–कोलगंग, थाना सं0–33, अंचल–गोपालपुर वर्तमान इस्माईलपुर, जिला–भागलपुर में है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे भू–खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन की अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमा (भू–खण्ड) चौहद्दी			
							उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	464	307 अंश	रैयती	भीठ दो	0.02	धीरज कुमार साहू पिता अवधेश कुमार साहू निवासी साहु परबत्ता, जिला भागलपुर	अंश खेसरा नं0 307	अंश खेसरा नं0 308	अंश खेसरा नं0 307	पूर्व में सड़क हेतु अर्जित भूमि
2	386	308 अंश	रैयती	भीठ दो	0.22	तनुजा कुमारी पिता कमलेश कुमार निवासी साहु परबत्ता, थाना परबत्ता, जिला भागलपुर	अंश खेसरा नं0 308	अंश खेसरा नं0 311	अंश खेसरा नं0 308	अंश खेसरा नं0 308
3	386	311 अंश	रैयती	भीठ दो	0.25	तनुजा कुमारी पिता कमलेश कुमार निवासी साहु परबत्ता, थाना परबत्ता, जिला भागलपुर	अंश खेसरा नं0 308	अंश खेसरा नं0 312	अंश खेसरा नं0 311	पूर्व में सड़क हेतु अर्जित भूमि
4	386	312	रैयती	भीठ दो	0.10	तनुजा कुमारी पिता कमलेश कुमार निवासी साहु परबत्ता, थाना परबत्ता, जिला भागलपुर	अंश खेसरा नं0 311	सिमाना मौजा महादेवपुर	अंश खेसरा नं0 313	पूर्व में सड़क हेतु अर्जित भूमि
5	464	313 अंश	रैयती	भीठ दो	0.005	धीरज कुमार साहू पिता अवधेश कुमार साहू निवासी साहु परबत्ता, जिला भागलपुर	अंश खेसरा नं0 313	सिमाना मौजा महादेवपुर	अंश खेसर नं0 313	खेसरा नं0 312

कुल – 0.595 एकड़ या 0.2408 हेक्टेयर

यह अधिघोषणा हितवद्ध व्यक्तियों की आपत्तियाँ प्राप्त न होने के पश्चात् और अधिनियम सं0–30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं होते हैं।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिये भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर, आवश्यक नहीं है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ह0–
समाहर्त्ता
–सह–
समुचित सरकार
भागलपुर

ज्ञापांक– **LXIV-01(01)/18-** 605/भू–अ0, भागलपुर दिनांक 17.12.19

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रति सी०डी० सहित भेजते हुए अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, भागलपुर को अधिसूचना की प्रति भेजते हुए जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डी० आई० ओ०, एन० आई० सी० भागलपुर को सूचनार्थ एवं जिला भागलपुर के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता
–सह–
समुचित सरकार
भागलपुर
17/12/19